पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 4 वांछित अभियुक्त व एनबीडब्ल्यू में 01 वारण्टी गिरफ्तार।

दिनांक 19.09.2024

दिनांक 18/19.09.2024 को-

01-थाना बीकेटी में पंजीकृत मु0अ0सं0-267/2024 धारा 64(ञ)/115(2) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त रामगोपाल उर्फ गोपाल

02- थाना सआदतगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0-162/2024 धारा 75(2)/78(2)/351(2) BNS व 11/12 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अभिषेक

03-थाना निगोहां में पंजीकृत मु0अ0सं0-175/2024 धारा 305(a) BNS से सम्बन्धित 02 अभियुक्त 01- आकाश 02- अतुल कुमार गिरफ्तार

एवं

01-थाना इटौंजा में एनबीडब्ल्यू वाद संख्या 351/13 मु0अ0सं0 115/10 धारा 302 भादवि व 3(2)v एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित वारण्टी बराती गिरफ्तार।

जोन उत्तरी

मारपीट-थाना मडियांव-

थाना स्थानीय पर दिनांक 18.09.2024 को वादी आलोक कुमार कश्यप पुत्र स्व0 शिव प्रसाद निवासी विनयनगर, मानसनगर, लखनऊ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी जिसमे वादी को उसके मित्र मोहम्मद पिन्टू द्वारा अपने बच्चे के जन्म दिन में बुलाया गया जहां पर वादी के साथ उसके अन्य मित्र भी मौजूद थे। वादी अपने मित्रों के साथं बैठा था। तभी पिन्टू के सगे भाई मिथुन ने बिना किसी बात के वादी को देखकर बोला कि तुम यहां क्यों आये हो तो वादी द्वारा कहा गया कि तुम्हारे भाई पिन्टू द्वारा अपने बच्चे के जन्म दिन के अवसर पर बुलाया गया है। इस पर मिथुन बहुत गुस्सा हो गया ओर बोला कि तुम यहा से तुरन्त चले जाओं नही तो तुम्हें जान से मार देगें तभी पिन्टू द्वारा अपने भाई मिथुन को समझाया गया लेकिन मिथुन अपने भाई पिन्टू की बात नहीं सुनी और वादी को अपने मित्रों के साथ मिलकर गाली गलौज करते हुए व बुरी तरह से पीटने लगा। वादी द्वारा विरोद्ध करने पर जान से मारने की धमकी देने लगा तथा फर्जी मुकदमें में फंसा देने की धमकी दी। वादी किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागा, तथ्य अंकित हैं। **वादी द्वारा दी गयी तहरीर के क्रम में तत्काल थाना मडियांव पर मु0अ0सं0 0572/2024 धारा 191(2)/115(2)/352/351(2) बीएनएस बनाम मिथुन व उसके 4-5 अन्य साथी नाम-पात अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।**

जोन-पश्चिमी

सड़क दुर्घटना- थाना चौक-

दिनांक 18/19.09.2024 को देर रात्रि, थाना चौक क्षेत्रान्तर्गत पक्का पुल पर एक ई-रिक्शा व पिकप में आमने-सामने से टक्कर होने व ई-रिक्शा में सवार कुछ लोगों के घायल होने की सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर **घायल व्यक्तियों क्रमशः 1.उवेद पुत्र वसीम निवासी सीतापुर, उम्र 25 वर्ष तथा 2. मो0 आरिफ पुत्र अली अहमद नि0 सीतापुर, उम्र 23 वर्ष, को इलाज के लिए ट्रामा सेन्टर भेजा दिया गया। जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है।** प्रथमदृष्टया जानकारी करने पर ज्ञात हुआ है कि ई-रिक्शा में कुल 04 सवारी थी। जिनमें से 02 व्यक्ति उपरोक्त घायल हुये हैं। अन्य कोई भी हताहत नहीं है। घायलों के परिजन मौके पर मौजूद है। **अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।**

ट्रेन दुर्घटना-थाना तालकटोरा-

थाना स्थानीय पर दिनांक 18.09.2024 को श्रीमती अनीता रावत पत्नी सुनील कुमार रावत निवासिनी हरचन्दपुर गढी कनौर लखनऊ ने थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दिया कि उनके पति सुनील रावत उत्तर प्रदेश पुलिस में जनपद सीतापुर में माननीय न्यायालय में कार्यरत हैं, देर रात्रि करीब 11.00 बजे से 12.00 बजे बीच रानी लक्ष्मी बाई अस्पताल के सामने रेलवे लाइन पार करते समय अचानक किसी अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गयी **हैं। सूचना पर तत्काल उप निरीक्षक सूरज शनीम थाना तालकटोरा द्वारा मौके पर पहुंचकर परिजनों की मौजूदगी में शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है।** प्रथम दृष्टया जानकारी से ज्ञात हुआ कि मृतक उत्तर प्रदेश पुलिस में 1995 बैच के आरक्षी पद पर भर्ती हुए थे व् वर्तमान में मुख्य आरक्षी के पद पर जनपद सीतापुर मे थाना तम्बौर से माननीय न्यालाय में पैरोकारी करते थे। दिनांक 18.09.2024 को थाना तम्बौर से 05 दिवस के आकस्मिक अवकाश पर रवाना हुये थे। सुनील कुमार रावत उपरोक्त ग्राम बैनीखेड़ा थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव के मूल निवासी हैं, व गढ़ी कनौरा थाना आलमबाग में सपरिवार निवास करते थे। प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

सड़क दुर्घटना-थाना दुबग्गा-

आज दिनांक 19 .09.2024 को समय करीब 12.30 बजे दिन में थाना स्थानीय पर सूचना प्राप्त हुई कि अथर्व हॉस्पिटल बरावन कला थाना दुबग्गा जनपद लखनऊ के पास एक व्यक्ति रामकुमार पुत्र नाथ निवासी दुर्गागंज थाना काकोरी लखनऊ पैदल जा रहे थे कि एक वाहन संख्या Up30t5635 मैजिक से उनका एक्सीडेंट हो गया है सूचना पर तत्काल थाना दुबग्गा पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच कर घायल व्यक्ति रामकुमार उपरोक्त को एंबुलेंस से इलाज हेतु ट्रामा सेंटर भेजा गया, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गयी है। मौके पर शांति व्यवस्था है। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।